

- (3) स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियामकली (यथासशोधित) 2017 के नियम 29(क)(1) के अनुसार उपखनिज चुगान कार्य अधिकतम 15 मीटर की गहराई अथवा न्यूनतम गहराई की तक हो तक किया जाएगा।
- (4) प्रारंभिक पट्टाधारक को खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा अधिकृत Registered Qualified personnel (RQP) से तैयार कराकर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई से अनुमोदित कराया जाएगा। सभी विभाग निदेशक द्वारा तैयार कराए गए खनिज की मात्रा तथा उचित खनिज का उपयोग का पर्यावरण संरक्षण के खनन संचालन संबंधित किया जाने की विधि का कानून निर्धारण के तहत प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। प्रस्तावकर्ता को खनन क्षेत्र पर अज्ञान किया जाना होगा तथा खनन क्षेत्र में समर्पित कर्म स्थिति रखने की भूमि को भूमि व भूजो नाप भूमि के खासिक का क्षेत्रफल पर राजस्व विभाग द्वारा सहायित वर्णन सलान किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त 100 मीटर की परिधि में आने वाली सभी सार्वजनिक स्थलों, समीपस्थ पुलों को पट्टाधारक को 10,000 का सेटलाइंट मानचित्र सलान करना होगा। जिसमें नदी की अद्यतन सीमा स्पष्ट रूप से चिह्नित हो तथा नदी के किनारे किनारे से निर्धारित दूरी छोड़ते हुए चिह्नित किया गया खनन योग्य क्षेत्रफल स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। जिस में खनन क्षेत्र के कानों को 100मीटर/एक कोडिनेटर आवश्यक रूप से अचिह्नित करने में एक खनन क्षेत्रों की दशा में प्रत्येक 100 मीटर की दूरी पर 100मीटर/एक कोडिनेटर अंकित किया जाना होगा। राजस्व इन भूमि एवं निर्जी नाप भूमि को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना होगा। समस्त मानचित्रों की डिजिटल प्रति भी प्रेषित की जानी होगी।
- (5) प्रारंभिक पट्टाधारक को विभाग द्वारा अधिकृत आर0व्यू0पी0 से खनन योजना तैयार कराकर व खनन योजना अनुमोदन शुल्क ₹0 50,000/- निर्धारित लेखाशीर्षक 0853-अलौह खनन अनु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा कर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत की जायेगी। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा सात दिन के अन्दर खनन योजना का अनुमोदन किया जा सकेगा।
- (6) प्रारंभिक पट्टाधारक को खनन योजना में अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जल संसाधन विभाग द्वारा पर्यावरण के संरक्षण के 20अर्द0ग0 नोटिफिकेशन दिनांक 14092006 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance) प्राप्त करनी होगी।
- (7) पट्टाधारक पर्यावरणीय अनुमति एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संचालन सम्पादित करेगा।
- (8) राष्ट्रीय पार्क के समन्वय में तत्समय प्रचलित प्रावधानों के अनुसार, दूरी में निर्धारित मानकों के अन्तर्गत पहले वाले खनन पट्टा क्षेत्र हेतु एन0वी0डब्ल्यू0एल0 की अनुमति पट्टाधारक द्वारा प्राप्त की जानी होगी।
- (9) उत्तराखण्ड शासन, मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हारत अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।
- (10) सफल धोलीदात/प्रारंभिक पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा के समन्वय में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकस्मिक निधन अथवा गम्भीर आघात होने की दशा में अग्रतार कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।
- (11) राज्य में अधिकतम पांच खनन पट्टे या 400 हे० से अधिक के चुगान/खनन क्षेत्र का किसी एक व्यक्ति या स्थायी निवासियों की तनिते, जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो, के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किसी परिस्थितियों में एक व्यक्ति या स्थायी निवासियों को समिति जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो, द्वारा अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे० से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिये जाते ह, तो बड़े खनन पट्टा क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल के खनन पट्टा क्षेत्रों के क्षेत्रफल को जोड़ा जायेगा व 400 हे० पूर्ण होने पर अवशेष पट्टे हेतु अर्हता समाप्त मानी जायेगी व उक्त क्षेत्र समर्पित माने जायेगे। इस प्रकार समर्पित हुए उपखनिज क्षेत्रों के



ATTESTED
 24/05/19
PANKAJ PANDE
 म०ख०/RQP/DUN/04/2016

के नामित नोडल अधिकारी को भी आम लाइन होगी। प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा पट्टा विलेख प्रारूप को डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रतिया जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर को हस्ताक्षर किये जाने हेतु सम्बन्धित जनपद के विभागीय अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगी। विभागीय अधिकारी, ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षर क उपरान्त जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर को दो कॉपी दिवसों के अन्दर प्रस्तुत की जा सकेंगी। जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर द्वारा आवश्यक रूप में प्राप्त कर्तव्यवसी के अन्तर्गत पट्टा विलेख हस्ताक्षरित कर पट्टाधारक को उपलब्ध कराया जा सकेगी।

- (17) पट्टे की अवधि की सगणना आशय पत्र निर्गत होने की तिथि से की जायेगी।
- (18) ई निविदा सह ई-नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली की धनराशि प्रथम चर्च हेतु पट्टा धनराशि होगी। ई निविदा सह ई-नीलामी में प्राप्त उपखनिज की कुल मात्रा व बोली की धनराशि के आधार पर उक्त खनिज क्षेत्र को उपखनिज की प्रतिवत्न देय धनराशि निर्धारित होगी।
- (19) जनन पत्रों के अनुमती वर्षों में पिछले वर्ष की पट्टा धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि कर उस पर एक पट्टा धनराशि आगमन को जमायी व विन्दु सं० 18 के अनुसार प्रतिवत्न गवर्नरी धनराशि निर्धारित होगा।
- (20) आशय पत्र पर स्वीकृत खनिज लॉट का सीमांकन, खसरा विवरण एवं पीलरबन्दी की कार्यवाही-सीमांकन शुल्क नियम-17 के अनुसार, सीमास्तम्भ (साईज-05 फिट, जमीन के ऊपर तथा 03 फिट जमीन के भीतर, जो 2x2 फिट की चौड़ाई जी०पी०एस्० रिडिंग सहित) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा स्वयं के व्यय से निर्मित किये जायेंगे।
- (21) पट्टा विलेख को निष्पादन व पंजीकरण के दिनांक से खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् खनन दस्तावेज तैयार रखेगा किन्तु ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण शैली में कुशल कारीगर की मालि करेगा।
- (22) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा विभिन्न स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित सगयान्तर्गत पूर्ण न किये जाने की दशा में यह माना जायेगा कि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक पट्टा लेने की मंशा नहीं रखत है तथा इस स्थिति में आशय पत्र निरस्त करते हुए पूर्व के समस्त जमा अग्रिम धनराशि एवं बैंक गारन्टी आदि जख्त कर राज्य सरकार के पक्ष में समाहित कर दिया जायेगा। ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिस स्तर पर कार्यवाही रुकी हो, उससे अग्रततर कार्यवाही के सम्बन्ध में अथवा पुनः विज्ञापित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

गरिमा चौकली
संयुक्त सचिव


संख्या: 1648(1)/VII-1/18/54 ख/2018 तददिनांकित।

- 1. प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
- 2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र सं०-800/ई-निविदा/ई-नीलामी/भूतत्व/उ०श०नगर/2018-19, दिनांक 09 जुलाई, 2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3. निदेशक, ऊधमसिंह नगर।
- 4. सहायक निदेशक वरिष्ठ पत्नी श्री सुखदेव सिंह, निवासी विक्रमपुर, वाजपुर, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।
- 5. आई प्रकल्प।

आज्ञा (से.)

(अर्पण कुमार राज)
अनु सचिव



ATTESTED

PANKAJ PANDE
सं० 1648/RQP/DDN/04/2016